भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2595

11 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

ओडिशा में एनएफएसए के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थी

2595. श्री मनमोहन सामल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत देशभर में तथा ओडिशा में शामिल लाभार्थियों की कुल संख्या का श्रेणी-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत आवंटित तथा वितरित खाद्यान्न की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा वहन की गई खाद्य सब्सिडी की राशि क्या है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा तथा पोषण संबंधी सहायता को और सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए), ओडिशा राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। यह अधिनियम 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी को कवर करता है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। अधिनियम के तहत, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले सबसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जबकि प्राथमिकता प्राप्त परिवार (पीएचएच) प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं। देश में खाद्य सुरक्षा और पोषण पर कोविड-19 संकट के दीर्घकालिक प्रभावों को रोकने और लक्षित लाभार्थियों को महामारी के कारण खाद्य सुरक्षा संबंधी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) शुरू की है। पीएमजीकेएवाई के तहत, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों) के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह

...2/-

5 किलो की दर से निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया। यह लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को एनएफएसए के तहत प्रदान किए जाने वाले मासिक लाभ के अतिरिक्त था। यह योजना सात चरणों में अप्रैल 2020 से दिनांक 31.12.2022 तक प्रचालित की गई।

केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों पर वित्तीय भार कम करने और देशव्यापी एकरूपता तथा गरीबों की सहायता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, पीएमजीकेएवाई के तहत 1 जनवरी, 2023 से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया। नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है, जिसका अनुमानित वित्तीय व्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी।

एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण का पैमाना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक समान है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार खाद्यान्न आवंटन का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

वर्तमान में, 81.35 करोड़ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 79.08 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की है (दिनांक 16.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार), जिनमें ओडिशा राज्य के 321.93 लाख लाभार्थी शामिल हैं, जिन्हें एनएफएसए के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न प्राप्त होगा। ओडिशा राज्य में लाभार्थियों की श्रेणीवार और जिलावार संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-II** में है।

(ग): केंद्र सरकार उन राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है जिन्होंने भारत सरकार द्वारा आवंटन के अनुसार केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण हेतु विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति का विकल्प चुना है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा राज्यों को केंद्रीय पूल के लिए सौंपे गए खाद्यान्न की मात्रा के लिए निधियां भी जारी की जाती है। राज्यों को खाद्यान्न जारी करने के लिए आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) के बीच का अंतर एफसीआई और डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति किया जाता है। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई खाद्य सब्सिडी का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	जारी की गई खाद्य सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
2021-22	2,88,718.5
2022-23	272501.69
2023-24	211394.40
2024-25	199500.00
2025-26	227739.90

...3/-

(घ): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और समग्र दक्षता बढ़ाने के लिए, सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहलें लागू की हैं, जिनमें 100% डेटाबेस डिजिटलीकरण और राशन कार्डों का आधार सीडिंग, डेटा विश्लेषण के माध्यम से सही लक्ष्यीकरण, ऑनलाइन अनाज आवंटन, आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता एवं शिकायत निवारण पोर्टल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ई-पीओएस-स्वचालित उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण को सुव्यवस्थित किया गया है, जिनमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के माध्यम से राष्ट्रव्यापी कार्ड पोर्टेबिलिटी, स्मार्ट-पीडीएस का कार्यान्वयन और सार्थक पीडीएस अम्ब्रेला योजना (2026-31) के निर्मल और सक्षम पहलों के तहत उन्नत वास्तविक समय डेटा एकीकरण और ट्रैकिंग शामिल हैं।

इसके अलावा, लक्षित लाभार्थियों के बीच पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को श्री अन्न (मिलेट्स) खरीदने और स्थानीय खपत प्राथमिकताओं के अनुसार तथा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को वितरित करने के लिए एक परामर्शिका जारी की गई है।

अनुबंध-I

"ओडिशा में एनएफएसए के तहत कवर्ड लाभार्थियों" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2595 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान एनएफएसए के तहत आवंटित खाद्यान्न की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मात्रा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएफएसए (एएवाई, पीएचएच और टाइड ओवर) के तहत कुल वार्षिक आवंटन (हजार टन में)				
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	1871.84	1871.84	1871.84	1871.84	1871.84
2	अरुणाचल प्रदेश	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00
3	असम	1694.73	1695.13	1695.13	1695.13	1695.13
4	बिहार	5527.10	5527.10	5527.10	5527.10	5527.10
5	छत्तीसगढ	1384.06	1384.06	1384.06	1384.06	1384.06
6	दिल्ली	448.68	448.70	448.78	448.80	448.80
7	गोवा	59.04	59.04	59.04	59.04	59.04
8	गुजरात	2175.74	2185.38	2211.23	2263.35	2206.24
9	हरियाणा	795.00	795.00	795.00	795.00	795.00
10	हिमाचल प्रदेश	508.02	508.02	508.02	508.02	508.02
11	झारखंड	1724.90	1743.73	1751.02	1751.99	1751.99
12	कर्नाटक	2608.82	2608.84	2608.84	2608.84	2608.84
13	केरल	1425.05	1425.05	1425.05	1425.05	1425.05
14	मध्य प्रदेश	3165.84	3259.68	3436.08	3493.79	3491.54
15	महाराष्ट्र	4605.19	4605.19	4605.19	4605.19	4605.19
16	मणिपुर	130.99	136.17	136.29	138.04	140.49
17	मेघालय	176.30	176.30	176.30	176.30	176.30
18	मिजोरम	65.76	65.76	65.76	65.76	65.76
19	नागालैंड	138.06	138.06	138.06	138.06	138.06

20	उड़ीसा	2244.23	2249.71	2251.62	2253.21	2251.82
21	पंजाब	870.12	870.12	870.12	870.12	870.12
22	राजस्थान	2770.58	2770.58	2770.58	2770.58	2770.58
23	सिक्किम	44.32	44.32	44.32	44.32	44.32
24	तमिलनाडु	3677.75	3677.75	3677.75	3677.75	3677.75
25	तेलंगाना	1338.00	1338.00	1338.00	1337.81	1337.77
26	त्रिपुरा	271.23	271.22	271.23	271.23	271.23
27	उत्तराखंड	503.00	502.99	502.99	502.99	502.99
28	उत्तर प्रदेश	9780.56	9878.53	9935.48	9950.39	9912.68
29	पश्चिम बंगाल	3970.62	3970.62	3970.62	3970.62	3970.62
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	29.56	29.56	29.56	29.56	29.56
31	चंडीगढ़ (डीबीटी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव	15.42	15.16	15.13	15.13	15.13
33	जम्मू एवं कश्मीर	734.65	734.65	734.65	734.65	734.65
34	लद्दाख	16.43	16.43	16.43	16.43	16.43
35	लक्षद्वीप	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62
36	पुडुचेरी (डीबीटी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**54865.22**	**55096.31**	**55364.88**	**55493.76**	**55397.71**

पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न का आवंटन (कोविड-19 महामारी के दौरान)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21 (चरण I-II)	2021-22 (चरण III-V)	2022-23(चरण VI-VII)	कुल
1	आंध्र प्रदेश	1072.920	1475.218	1206.995	3755.133
2	अरुणाचल प्रदेश	32.845	46.219	37.815	116.879
3	असम	1006.117	1380.988	1130.251	3517.357
4	बिहार	3474.654	4791.399	3920.235	12186.288
5	छत्तीसगढ	803.080	1104.235	903.465	2810.780
6	दिल्ली	290.933	400.290	327.510	1018.732
7	गोवा	21.280	29.270	23.948	74.498
8	गुजरात	1530.143	1884.348	1551.681	4966.172
9	हरियाणा	505.960	695.695	569.205	1770.860
10	हिमाचल प्रदेश	114.578	157.545	128.901	401.024
11	झारखंड	1054.801	1451.459	1188.611	3694.871
12	कर्नाटक	1607.720	2210.615	1808.685	5627.020
13	केरल	619.200	851.401	696.601	2167.202
14	मध्य प्रदेश	2185.680	2654.248	2214.735	7054.663
15	महाराष्ट्र	2800.680	3850.920	3150.751	9802.351
16	मणिपुर	98.526	105.942	90.262	294.730
17	मेघालय	85.821	118.003	96.548	300.372
18	मिजोरम	26.729	36.752	30.070	93.550
19	नागालैंड	56.187	77.258	63.211	196.656
20	ओडिशा	1250.609	1783.081	1462.648	4496.338
21	पंजाब	565.800	778.322	636.809	1980.930
22	राजस्थान	1786.480	2420.068	1980.056	6186.605
23	सिक्किम	15.152	20.833	17.045	53.030

24	तमिलनाडु	1429.348	2005.815	1641.121	5076.285
25	तेलंगाना	766.480	1053.920	862.299	2682.699
26	त्रिपुरा	99.788	136.745	110.705	347.238
27	उत्तराखंड	247.787	340.670	278.730	867.187
28	उत्तर प्रदेश	5802.846	8126.602	6704.914	20634.362
29	पश्चिम बंगाल	2407.351	3310.107	2708.270	8425.728
30	अंडमान निकोबार	2.434	3.347	2.739	8.521
31	चंडीगढ़	10.676	15.107	12.379	38.162
32	दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव	11.482	15.563	13.293	40.339
33	जम्मू एवं कश्मीर	289.462	398.259	325.848	1013.569
34	लद्दाख	5.756	7.914	6.475	20.145
35	लक्षद्वीप	0.880	1.201	0.981	3.063
36	पुदुचेरी	25.315	34.396	28.219	87.930
	कुल	**32105.501**	**43773.756**	**35932.010**	**111811.266**

अनुबंध-II

"ओडिशा में एनएफएसए के तहत कवर्ड लाभार्थियों" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2595 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ओडिशा राज्य में एनएफएसए के अंतर्गत श्रेणीवार और जिलावार लाभार्थियों का विवरण

क्र.सं.	जिला का नाम	लाभार्थियों की संख्या		
		एएवाई	पीएचएच	कुल
1	अनुगुल	88,598	8,59,517	9,48,115
2	बलांगीर	1,21,373	12,43,253	13,64,626
3	बालेश्वर	2,49,878	15,98,346	18,48,224
4	बारगढ़	1,25,169	10,18,512	11,43,681
5	भद्रक	1,24,283	10,06,923	11,31,206
6	बौध	45,793	3,10,826	3,56,619
7	कटक	1,39,487	16,24,559	17,64,046
8	देवगढ़	37,063	2,22,638	2,59,701
9	ढेंकनाल	95,554	8,43,604	9,39,158
10	गजपति	49,543	4,27,823	4,77,366
11	गंजम	2,00,817	23,65,221	25,66,038
12	जगतसिंहपुर	76,536	7,68,643	8,45,179
13	जाजापुर	1,32,183	13,50,457	14,82,640
14	झारसुगुडा	20,494	3,62,074	3,82,568
15	कालाहांडी	1,56,216	11,94,316	13,50,532
16	कंधमाल	75,764	5,47,974	6,23,738
17	केंद्रपाड़ा	1,06,010	10,50,566	11,56,576
18	केंदुझर	1,64,524	12,89,624	14,54,148
19	खोरधा	1,12,187	12,49,716	13,61,903
20	कोरापुट	1,56,857	9,68,507	11,25,364

21	मल्कानगिरी	63,482	4,44,092	5,07,574
22	मयूरभंज	2,63,849	17,80,080	20,43,929
23	नबरंगपुर	1,39,728	9,09,810	10,49,538
24	नयागढ़	82,752	6,51,953	7,34,705
25	नुआपाड़ा	69,019	4,76,303	5,45,322
26	पुरी	1,21,669	11,33,216	12,54,885
27	रायगढ़	1,19,690	6,77,925	7,97,615
28	संबलपुर	71,657	6,71,544	7,43,201
29	सोनेपुर	72,394	4,14,954	4,87,348
30	सुंदरगढ़	1,17,128	13,30,386	14,47,514
कुल		**33,99,697**	**2,87,93,362**	**3,21,93,059**
